|| कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म0प्र0 ||

जिला न्यायालय शिवपुरी में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति

क्रमांक B/3035 शिवपुरी, दिनांक 13/08/2025

जिला न्यायालय शिवपुरी में अस्थायी रूप से 02 वर्ष के लिए एमपी ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु इच्छुक एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क संचालकों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2025 को सायंकाल 05:00बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र, शर्तों तथा नियत दरों की सूची नजारत अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी में रूपये 250/— का आवेदन शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन पत्र, शर्तें म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट mphc.gov.in तथा जिला न्यायालय शिवपुरी की वेबसाईट shivpuri.dcourts.gov.in पर उपलब्ध है।

इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र भरकर, शर्तों तथा नियत दरों की सूची पर हस्ताक्षर कर एवं उल्लेखित जमा राशि की एफडीआर संलग्न कर बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला शिवपुरी(म0प्र0)

|| कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म0प्र0 ||

जिला न्यायालय शिवपुरी में अस्थायी रूप से एमपी0ऑनलाईन कियोस्क संचालन हेतु शर्तें :–

1– सफल आवेदनकर्ता द्वारा रूपये 5000/– सिक्योरिटी राशि के तौर पर शासकीय हैड में जमा कराना होगी, जो वापस नहीं की जावेगी।

2– सफल आवेदनकर्ता के अलावा शेष आवेदनकर्ताओं से प्राप्त हुई जमा राशि/सुरक्षा निधि, कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात संबंधित आवेदनकर्ताओं को वापस कर दी जावेगी।

3– एमपी ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में मात्र स्थान उपलब्ध कराया जावेगा, जिसे स्वयं के व्यय पर एमपीऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन योग्य बनाना होगा एवं विद्युत व्यवस्था कियोस्क सेंटर संचालक के द्वारा स्वयं की जावेगी। विद्युत मीटर स्वयं द्वारा लगवाया जाकर भुगतान किया जावेगा।

4– उपलब्ध कराए गए स्थान का न्यूनतम किराया 6609/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित है। कियोस्क सेंटर, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी वर्ष के लिए पुनः संचालन चाहता है तो पूर्व से निर्धारित किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगा, जिसके लिए निविदाकर्ता को पूर्व से निर्धारित संचालन अवधि (एक वर्ष) पूर्ण होने के 01 माह पूर्व आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को प्रस्तुत करना होगा

5– उल्लेखित शर्तों के पूरा होने के पश्चात अनुभव के आधार एवं प्रस्तावित किरायादर के आधार पर आवेदनकर्ता का चयन किया जावेगा, इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा एवं पक्षकारों द्वारा अनुभव संबंधी समस्त दस्तावेज संलग्न करना अपेक्षित है।

6– सफल आवेदक को न्यायालय परिसर में दो वर्ष के लिए सेंटर के संचालन की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात समयावधि एक–एक वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा लिया जावेगा।

7– आवेदक के पास कम से कम एक वर्ष का कियोस्क संचालन का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन करते समय लायसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8– सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो नगद राशि रूपये के माध्यम से जिला न्यायालय में स्थापित एमपीऑनलाईन सेंटर में जमा हो रही है उसे किसी भी स्थिति में न्यायालय परिसर में नहीं रखा जावेगा।

9– उपकरणों के रख–रखाव एवं सुरक्षा का दायित्व सफल आवेदनकर्ता का ही रहेगा।

10— आवेदनकर्ताओं को एमपी0 ऑनलाईन के माध्यम से बैंक में किए गए लेनदेन का एक साल का स्टेटमेंट एवं आवेदन दिनांक में वॉलेट में जमा राशि की जानकारी प्रदान करना होगा।

11— सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिवस के भीतर एमपी0 ऑनलाईन वॉलेट में कम से कम 5,00,000/— (पांच लाख रूपये) रखे होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

12— सफल आवेदनकर्ता को जिला न्यायालय में स्थापित होने वाले एमपी0 ऑनलाईन कियोस्क सेंटर में कम से कम 02 कर्मचारियों की न्यायालयीन कार्य दिवस या जब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आदशित किया जावे, की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगानी होगी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता पीजीडीसीए या उसके समकक्ष हो। किसी भी स्थिति में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कियोस्क बंद नहीं रखा जाएगा। कर्मचारियों की उपेक्षा का पूर्ण दायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

13— सफल आवेदनकर्ता को तीन दिवस के अंदर कियोस्क का पता बदलकर जिला न्यायालय शिवपुरी करना होना। सफल आवेदनकर्ता को सात दिवस के भीतर एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क जिला न्यायालय शिवपुरी में स्थापित कर प्रारंभ करना होगा।

14— सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवाएं प्रदान करनीं होगी। सफल आवेदनकर्ता को दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवाएं बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार सेवा शुल्क न लिए जाने की दशा में संविदा समाप्त की जा सकेगी।

15— आवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10:30 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक या प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य दिवस पर कियोस्क सेंटर को खोलकर आमजनों को सेवाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

16— आवेदक कियोस्क सेंटर में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

17— प्राप्त आवेदन **दिनांक 08.09.2025 दोपहर 02:00 बजे** प्रशासकीय समिति जिला न्यायालय शिवपुरी के समक्ष खोले जाऐंगे। सफल आवेदनकर्ता का चयन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

18– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी को यह अधिकार होगा कि ऑनलाईन कियोस्क सेंटर हेतु दिए गए स्थान से संचालक को किसी भी समय एक माह के नोटिस पर कियोस्क सेंटर हटाने का आदेश दे सकते हैं।

19– आवेदन के समय आवेदनकर्ता को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध या उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों को विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है तथा न ही उन्हें न्यायालय से दंडित किया गया है। सफल आवेदनकर्ता का पुलिस वेरीफिकेशन भी करवाया जावेगा।

20– यदि सफल आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता, तय दर से ज्यादा रूपये वसूलने, शासकीय संपत्ति का नुकसान करने, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी/अधिवक्तागण/पक्षकारगण से दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है या ऐसा अन्य कोई कार्य जिससे कि शासन के नियमों का उल्लंघन हो, तो कियोस्क संचालक की जमा राशि में से 1000/– रूपये के हिसाब से पेनल्टी लगाई जावेगी। यदि 01 वर्ष में 10 दिन पेनल्टी लगती है तो आवेदनकर्ता का आवेदन स्वमेव निरस्त हो जावेगा एवं उसे 10 दिन में ऑनलाईन कियोस्क सेंटर को नियत स्थान से खाली करना होगा।

21– यदि कियोस्क संचालन के कार्य में अनियमितता/लापरवाही पाई जाती है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

22– सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक के विरूद्ध पेनल्टी लगाने या शर्तों का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी का होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला शिवपुरी(म0प्र0)